

# बस सेवा हेतु निविदा दस्तावेज़



पी डी पी एम  
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं  
विनिर्माण संस्थान जबलपुर  
डुमना विमानतल मार्ग, पी.ओ. खमरिया, जबलपुर - 482005

कुल पृष्ठ 16

निविदा से संबंधित कार्यक्रम

1	बोली से पूर्व बैठक	30/08/2019 को 15.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में
2	सीलबंद निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	16/09/2019 अपरान्ह 3.00 बजे
3	सीलबंद निविदा खोलने की तिथि (केवल तकनीकी बोली)	16/09/2019 अपरान्ह 4.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में
4	निविदाओं की वित्तीय बोली खोलने की तिथि (जो केवल तकनीकी बोलियों में अर्हता प्राप्त करते हैं)	बाद में तय की जाएगी एवं तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को सूचित किया जाएगा।

## पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के लिए बस सेवा हेतु निविदा

### 1. कार्य की प्रकृति:

- i) पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर (जिसे अब संस्थान कहा जाएगा) के कर्मचारियों और छात्रों व अन्य यात्रियों के परिवहन सुविधा हेतु संस्थान किराये पर दो बसों हेतु निविदा आमंत्रित करता है। दोनो बसे अच्छी स्थिति में, आरामदायक बैठक के साथ व तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिये (जिसे अब योग्य बस कहा जायेगा)। इस विषय में अब सफल निविदाकर्ता को ठेकेदार कहा जाएगा।
- ii) अनुबंध की अवधि के दौरान संस्थान किसी भी उद्देश्य के लिए बसों का उपयोग कर सकेगा। बसे 7 दिवस 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए।
- iii) अनुबंध अवधि के दौरान बसें तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होंगी (यदि अनुबंध अवधि के भीतर बसें पुरानी हो जाती हैं, तो इसे अन्य योग्य बसों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए)।

### 2. पात्रता मानदंड

सभी बोलीदाताओं / एजेंसियों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। सभी सहायक दस्तावेज और घोषणाएं (स्टैम्प के साथ विधिवत स्व-प्रमाणित) तकनीकी बोली के साथ उनके दावे के समर्थन में प्रस्तुत की जानी चाहिए। केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, खोलने के लिए विचार में लाई जावेगी। मानदंडों को पूरा न करने वाली व अपेक्षित दस्तावेजों के साथ नहीं होने वाली बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा यथा अस्वीकार कर दिया जाएगा एवं वह वित्तीय बोली भी नहीं खोली जाएगी।

- i) एजेंसी / फर्म को एक पंजीकृत ट्रेवल एजेंसी / परिवहन सेवा प्रदाता (टूर ऑपरेटर) होना चाहिए।
- ii) एजेंसी / फर्म को उचित परमिट / आरटीओ अनुमतियों के साथ जबलपुर के भीतर सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। इस संबंध में एक वचन पत्र अनुलग्नक - II में प्रस्तुत करना होगा।
- iii) एजेंसी / फर्म के पास न्यूनतम 02 योग्य बसे होना चाहिए जो फर्म के मालिक या फर्म के नाम पर पंजीकृत हो।
- iv) एजेंसी का जबलपुर में पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए। जबलपुर में कार्यालय नहीं होने की स्थिति में वे अनुबंध होने के एक महीने के भीतर जबलपुर में एक कार्यालय आरंभ करने हेतु एक वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे, ऐसा न होने की स्थिति में अनुबंध रद्द कर ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।
- v) एजेंसी के पास GST पंजीकरण संख्या होनी चाहिए एवं पंजीकरण के प्रमाण पत्र की एक स्व-प्रमाणित प्रति जमा करनी होगी।
- vi) एजेंसी के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए व पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी।
- vii) एजेंसी को वित्तीय वर्ष (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के लिए आयकर रिटर्न की प्रतिलिपी संलग्न करना होगा।

- viii) एजेंसी के पास पिछले पांच वर्षों में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन / सरकार / सार्वजनिक उपक्रम / आईआईआईटी / आईआईटी / एनआईटी आदि को वाहनों की आपूर्ति का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- ix) एजेंसी / फर्म को योग्य बसों की क्षमता, विनिर्माण का वर्ष, विशिष्ट निर्माण का वर्ष, मॉडल तकनीकी बोली में प्रस्तुत करना होगा साथ ही बसे तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- x) एजेंसी के पास वित्तीय वर्ष (2016-17, 2017-18 और 2018-19) हेतु प्रति वर्ष 15 लाख या उससे अधिक का टर्नओवर होना चाहिए एवं खातों का लेखा परीक्षा विवरण (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टर्न ओवर के संबंध में एक विशिष्ट प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित होना अनिवार्य है।
- xi) बोलीदाताओं ड्राइवर और क्लीनर हेतु मोबाइल फोन, सफेद वर्दी (दो जोड़े), काले जूते (2 जोड़े), ड्राइवरों के लिए लागू भत्ते बोलीदाताओं द्वारा इंगित किया जाना चाहिए इसके साथ ड्राइवर और क्लीनर हेतु मासिक वेतन (न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं) प्रदान करने के लिए एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xii) किसी भी संगठन / संस्थान से फर्म को ब्लैकलिस्ट / प्रतिबंधित / निलंबित / डिबार नहीं किया गया हो और इस मामले में पुलिस के साथ या उनके नाम के खिलाफ न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी परिस्थिति में ऐसा पाया जाता है, तो अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा एवं परफारमेंस गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा।
- xiii) इच्छुक बोलीदाताओं को तकनीकी बोली के साथ आवश्यक ईएमडी जमा करना होगा और लेटर ऑफ एक्सेप्शंस (एलओए) जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसके लिए सहमत होना होगा। कार्य आदेश प्राप्त होने के बाद ठेकेदार एक अनुबंध पश्चात कार्य आरंभ करेगा।
- xiv) संपूर्ण टेंडर दस्तावेज को को पेज-वार गिना जाएगा और सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के उद्देश्य से सभी पृष्ठ मोहर के साथ स्व-प्रमाणित होना चाहिए।
- xv) बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ग्राहक संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट (CSPR) जमा करनी होगी जहाँ एजेंसी ने कार्य किया / कार्य कर रही है।

### 3. तकनीकी बोली का मूल्यांकन

- i) संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि नियत स्थान और समय पर बोली दाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूर्व-योग्यता / तकनीकी बोलियां खोलेंगे। बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों को प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अपनी फर्म/एजेंसी से उचित नियुक्ति पत्र लाना होगा अन्यथा उन्हें प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जावेगा।
- ii) ऐसे बोलीदाता जिनके द्वारा नियम और शर्तों में निर्धारित पात्रता मानदंड और / या शर्तों में से एक या अधिक का अनुपालन नहीं किया है, उक्त बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- iii) बोलीदाताओं को दस्तावेज सत्यापन हेतु निविदा खोलने की तिथि पर पात्रता / योग्यता मानदंड के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा संस्थान उन संस्थानों / संगठनों से प्रस्तुत दस्तावेज को

सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिन्होंने इस तरह के प्रमाण पत्र जारी किए हैं। यदि बोली लगाने वाला बोली खोलने में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे अनुबंध से पहले मूल दस्तावेज तैयार करने हेतु एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विफल होने पर अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।

iv) बोलीदाता को तकनीकी पात्रता के लिए विधिवत भरा हुआ, सत्यापित और हस्ताक्षरित चेकलिस्ट (अनुलग्नक - I) प्रस्तुत करना होगा।

#### 4. वित्तीय बोली का मूल्यांकन

i) वित्तीय बोली केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / उनके अधिकृत प्रतिनिधि यदि वे पूर्व सूचना के साथ उपस्थित होना चाहते हैं, के उपस्थिति में खोली जाएंगी।

ii) वित्तीय बोली (निर्धारित प्रारूप में संलग्न की जाएगी- अनुलग्नक - III) के अंतर्गत वाहनों के सटीक शुल्क (निविदा के अनुसार) ड्राइ लीज / मासिक शुल्क / प्रति किमी जो भी लागू हो, के अनुसार हो सकती है। इसके अलावा यदि यह पाया जाता है कि उद्धृत की गई जानकारी अनुचित या गैर-न्यायसंग है तो संस्थान के पास किसी भी एजेंसी की वित्तीय बोली को रद्द करने का अधिकार होगा।

5. निविदा को दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों 'ए' और 'बी' दो भागों में जमा करना होगा तथा इन दोनों लिफाफों को तीसरे बड़े लिफाफे में रखकर जमा करना होगा।

(ए) तकनीकी बोली (लिफाफा - ए): इसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए: -

i) फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र,

ii) 52 सीटर क्षमता के लिए कम से कम 02 योग्य बसों के पंजीकरण की प्रतिलिपि, (क्षमता आरटीओ पंजीकरण और बस विनिर्माण के अनुसार होना चाहिए)

iii) जीएसटी पंजीकरण की प्रतिलिपि,

iv) एजेंसी के पास पिछले पांच वर्षों में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन / सरकार / सार्वजनिक उपक्रम / आईआईआईटी / आईआईटी / एनआईटी आदि को वाहनों की आपूर्ति का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

v) एजेंसी के पास वित्तीय वर्ष (2016-17, 2017-18 और 2018-19) हेतु प्रति वर्ष 15 लाख या उससे अधिक का टर्नओवर होना चाहिए एवं खातों का लेखा परीक्षा विवरण (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

vi) पैन संख्या और पिछले तीन वर्षों में जमा किए गए आयकर रिटर्न की प्रति।

vii) "कुलसचिव, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 50,000 / - (केवल पचास हजार) की ई एम डी राशि।

viii) सभी पृष्ठों पर संख्या प्रविष्ट कर निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज।

ix) वचन पत्र (अनुलग्नक- II)

x) "अनुलग्नक- V" के रूप में अनुक्रमणिका

(बी) वित्तीय बोली (लिफाफा - बी):

- i) इसमें वित्तीय बोली होगी जो केवल निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक - III) के अनुरूप होगी। लिफाफे के उपर यह लिखा होना अनिवार्य है ' बस सेवा हेतु वित्तीय बोली'।
- ii) वित्तीय बोली केवल तकनीकी रूप से योग्य फर्मों की संस्थान द्वारा पूर्व अधिसूचित तिथि, समय और स्थान पर खोली जाएंगी, जिसके लिए संस्थान डाक द्वारा आवश्यक जानकारी भेजेगा।
- iii) वित्तीय बोली को केवल निर्धारित मासिक शुल्कों के भारित औसत (नीचे दर्शाये क्रमांक 1 और 2) के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। [अनुलग्नक - III]

6. ई एम डी / सुरक्षा जमा

- i) कुलसचिव, पीडीपीएम आईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु 50,000 / - (पचास हजार मात्र) राशि निविदा के साथ जबलपुर में देय होगी, जिसके न होने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी।
- ii) सफल निविदाकर्ता को अनुबंध शुरू होने से पहले परफारमेंस गारंटी के लिए सुरक्षा जमा के रूप में रुपये 1,00,000 / - (एक लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। संस्थान के पास जमा किए गए डिमांड ड्राफ्ट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। जमा की गई ईएमडी को सुरक्षा जमा के हेतु समायोजित किया जा सकता है शेष राशि के लिए अलग से डीडी जमा करना होगा।
- iii) अनुबंध किन्हीं कारणों से समाप्त होने पर सुरक्षा जमा को जब्त किया जा सकता है।
- iv) अनुबंध अवधि के सफल समापन पर, अगले 60 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा राशि को रिलिज किया जाएगा।

7. लॉगबुक

- i) ठेकेदार को ड्यूटी पर रहते हुए वाहन की आवाजाही की दैनिक लॉगबुक बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस अनुबंध के अंतर्गत वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नोट करने और अधिकृत अधिकारी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के लिए लॉगबुक को वाहन मालिक / चालक द्वारा सुनियोजित रखा जाएगा।

- ii) सभी लॉगबुक अनुबंध अवधि या अनुबंध की समाप्ति के अंत में संस्थान को सौंप दी जावेगी।
- iii) मूल्य को गंतव्य बिंदु से मापा जाएगा जैसा कि वित्तीय बोली में उल्लेखित है।

## 8. भुगतान की शर्तें

- i) सफल निविदाकर्ता को प्रति माह किराये का शुल्क भुगतान किया जाएगा और यदि उपयोग होने पर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए एक निश्चित दर से भुगतान किया जाएगा।
- ii) मासिक दर और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए दरों में अनुबंध की अवधि के दौरान बदलाव नहीं किया जावेगा जिसमें विस्तारित संविदावधि शामिल है। संस्थान द्वारा कोई मूल्य भिन्नता हेतु कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- iii) पूर्ववर्ती महीने के संबंध में वाहन की लॉगबुक की एक प्रति के साथ तीन प्रतियों में मासिक बिल को प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन के बाद आदेश मिलने पर बिल जमा करने के बाद तय समय के भीतर भुगतान किया जाएगा। उचित समय तक वैध कारण से भुगतान में देरी के मामले में अनुबंध की अवधि के दौरान सेवाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकेगा।
- iv) प्रचलित नियमों के अनुसार वैधानिक देयताओं की बिल से कटौती की जाएगी।
- v) अनुबंध अवधि या विस्तारित अवधि(यदि लागू हो) के दौरान ठेकेदार द्वारा अन्य सभी व्यय, उपभोग्य वस्तुएं, ईंधन और स्नेहक, सड़क कर, बीमा शुल्क, लाइसेंस / लेवी शुल्क, सड़क और बस परमिट की शुल्क, वाहन की मरम्मत और रखरखाव और ड्राइवरों / सफाईकर्मियों को आवास आदि का वहन करना होगा। संस्थान किसी भी अधिनियम के तहत किसी भी कानूनी दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सफल निविदाकार वाहन की तैनाती की तारीख से तीन दिनों के भीतर संस्थान को वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- vi) मालिक के लिए यह जिम्मेदारी होगी कि वह नवीनतम मोटर वाहन अधिनियम, ड्राइवरों के लाइसेंस, आरसी बुक, टैक्स बुक, भाड़े पर परिवहन के लिए बस चलाने के लिए व्यापक बीमा बस परमिट के अनुसार वाहन पंजीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज का अनुबंध सुनिश्चित करे जिसके लिए संस्थान द्वारा कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त दस्तावेज हमेशा वाहन में और उसके चालक के पास उपलब्ध होंगे। प्रशासन या अन्य एजेंसी द्वारा वाहन की जब्ती की स्थिति में वाहन को मुक्त करने हेतु ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। वाहन के अपेक्षित जब्ती की अवधि के दौरान ठेकेदार संस्थान द्वारा कोई अन्य बस प्रदान करके एक वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी जिसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।
- vii) अग्रिम स्वरूप कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

## 9. अनुबंध की अवधि

- i) अनुबंध वाहन की तैनाती की तारीख से प्रभावी होगा और 24 महीने की अवधि के लिए वैध होगा। यह अनुबंध संस्थान द्वारा वांछित ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन और पूर्ववर्ती दरों, नियमों और शर्तों के साथ संस्थान की आगे की आवश्यकता के अनुसार संस्थान के विवेक पर विस्तारित किया जा सकता है।

- ii) अनुबंध में किसी बात के होते हुए भी संस्थान द्वारा अनुबंध को बिना किसी कारण बताए ठेकेदार को 30 दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है और ठेकेदार अनुबंध की शेष अवधि के लिए किसी भी क्षति, लागत आदि का दावा नहीं करेगा।

## 10. सामान्य नियम और शर्तें

- 1) प्रदान की जाने वाली बसों की अन्य सभी पात्रता शर्तों (आरटीओ अनुमति, बीमा, आदि) तकनीकी बोली में दिए गए विवरण के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी बस में परिवर्तन के मामले में समय से पूर्व अनुमति लेकर सभी संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- 2) यदि मरम्मत या रखरखाव / दुर्घटना / चुनावी कार्यों आदि के कारण बस उपलब्ध नहीं होने पर ठेकेदार को बसों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
- 3) व्यक्ति, सामग्री, ठेकेदार के कर्मचारियों, आग आदि के लिए किसी भी दुर्घटना के लिए संस्थान की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी और इस हेतु ठेकेदार को कोई क्षति / क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 4) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन सुविधा संस्थान के कर्मचारियों और अन्य यात्रियों के लिए होगी। किसी भी मामले में किसी भी बाहरी यात्री को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 5) ठेकेदार स्वयं ही किसी भी प्रकार के कार्यों, चूक, कमीशन, चालक व कंडक्टर, क्लीनर और बस के रखरखाव, संचालन के लिए कार्यरत अन्य कर्मियों की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
- 6) ठेकेदार नियमों और शर्तों के तहत या अन्यथा जो भी हो, उनके कर्मियों और एजेंट द्वारा समय-समय पर संस्थान को कार्रवाई के विरुद्ध, हर दावे की कार्यवाही और खर्च या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने और संचालन के परिणामस्वरूप संस्थान के खिलाफ क्षतिपूर्ति करता रहेगा।
- 7) ठेकेदार प्रतिदिन ड्यूटी के दौरान वाहन और यात्रियों को दुर्घटना के खिलाफ पर्याप्त समग्र / व्यापक बीमा कवर के लिए अपनी लागत पर व्यवस्था करेगा।
- 8) ठेकेदार पूरी तरह से अपने जोखिम व जिम्मेदारी पर बस का संचालन करेगा और सभी नियमों और विनियमन व कानून के सभी प्रावधानों का पालन करेगा।
- 9) परिवहन सेवा के संचालन के क्षेत्र में किसी भी दंगे, सांप्रदायिक गड़बड़ी या नागरिक हंगामा के मामले में, संपर्ककर्ता तुरंत संस्थान को सूचित करेगा या यदि आवश्यक हो तो सक्षम उपयुक्त व्यवस्था हेतु संस्थान को सूचित करेगा।
- 10) जुर्माना के मामले में या तो देर से चलने के लिए, किसी भी विशेष दिन पर बस प्रदान नहीं करने, उचित दस्तावेजों के साथ बस नहीं चलाने के लिए, शेड्यूल ट्रिप्स को रद्द करने के लिए, ठेकेदार को नोटिस जारी होने के सात दिनों के भीतर जुर्माने के हिसाब से तय राशि जमा करनी होगी। जुर्माना जमा न होने पर राशि को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अगले बिल या सुरक्षा जमा से वसूला जाएगा। यदि ऐसी सजा का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है और / या ऐसी घटनाओं को दोहराया जाता है तो संस्थान को अनुबंध को रद्द करने का अधिकार होगा।
- 11) यदि किसी कारण से बस नहीं चल सकती है तो ठेकेदार को बस के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले सूचित करना होगा और उस दिन के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। 24 घंटे पहले सूचित करने में विफल रहने के मामले में इसे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और जुर्माना खंड संख्या 1 के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- 12) यदि किसी प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बस की आवश्यकता होती है, तो उसे बस समय-सारिणी के 24 घंटे पहले ठेकेदार को सूचित किया जाएगा और ठेकेदार को इस प्रयोजन के लिए बस प्रदान करनी होगी। यदि ठेकेदार किसी भी कारण से बस उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो दंड संख्या 1 के अनुसार दंड लगाया जाएगा।
- 13) किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले किसी भी नोटिस को विधिवत रूप से तब समझा जाएगा, जब तक कि दूसरे पक्ष को उनके पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाता है, जब तक कि उनमें से किसी ने भी पते के

किसी अन्य परिवर्तन को अधिसूचित नहीं किया है। डाक द्वारा दिए गए किसी भी नोटिस को पोस्टिंग की तारीख से 48 घंटे की समाप्ति पर भेजा जाना चाहिए।

- 14) पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर अन्य फर्म / एजेंसी से समान सेवा का लाभ उठाने का अधिकार रखता है और / या अन्य ठेकेदार के साथ इसी तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए समान सेवाओं को चलाने के साथ-साथ अपनी स्वयं की बस द्वारा सेवाएं चलाने का अधिकार रखता है। ठेकेदार इस तरह के मामले में ऐसा कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- 15) विवाद के सभी मामले केवल जबलपुर (म.प्र.) के अधिकार क्षेत्र में होंगे।
- 16) संस्थान के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:
  - (क) संपूर्ण या किसी हिस्से में कार्य हेतु आमंत्रण का अधिकार।
  - (ख) किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार।
  - (ग) सबसे निचली बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य न होने का अधिकार।
- 17) ऊपरीलिखित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, संस्थान निदेशक को कोई कारण बताए बिना कार्य आदेश को रद्द करने का अधिकार होगा और इस संबंध में संस्थान द्वारा कोई भुगतान नहीं होगा साथ ही सुरक्षा जमा को जब्त कर लिया जाएगा।
- 18) निविदाकर्ता को निविदा के साथ सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसके बिना निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 19) वाहन चालकों के साथ-साथ वाहन की सेवा महीने के सभी दिनों और संस्थान द्वारा निर्दिष्ट किसी भी समय उपलब्ध होगी जिसमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है।
- 20) ठेकेदार जहां भी लागू हो, श्रम कानून और न्यूनतम मजदूरी, पीएफ नियमों आदि से संबंधित सभी नियमों और विनियमन का पालन करेगा। ठेकेदार या उसका कर्मचारी संस्थान के परिसर में किसी भी उपद्रव का कारण नहीं बनेगा या अनुमति नहीं देगा या ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक असुविधा हो। ठेकेदार / उसके कर्मचारी द्वारा संस्थान को हुए किसी भी अन्य नुकसान को ठेकेदार के बिल से वसूल किया जाएगा।
- 21) ठेकेदार अपनी लागत और जोखिम पर यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों पूर्णतः सुनियोजित रखे ताकि यात्रा करने वाले संस्थान के कर्मचारियों, छात्रों और अन्य यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
- 22) एक कैलेंडर वर्ष में बस के लिए तीन दिन की छुट्टी लागू होगी (यानी होली, दिवाली और दशहरा)। किसी भी अन्य छुट्टी के मामले में ठेकेदार को पहले से सूचित करने की आवश्यकता होगी एवं ऐसे मामलों में यथानुपात भुगतान किया जाएगा।
- 23) ड्राइवरो को झूठी करते समय सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्हें साफ कपड़े पहनने व झूठी करते समय संस्थान द्वारा तय की गई उचित वर्दी पहननी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा साथ ही झूठी के दौरान सभी ड्राइवरो को एक मोबाइल फोन रखना होगा, जिसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा। ड्राइवरो के संपर्क नंबर लिखित रूप में संस्थान को प्रदान करने होंगे।
- 24) किसी भी दुर्घटना के मामले में, संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और ठेकेदार को स्थानापन्न बस उपलब्ध करानी होगी एवं ठेकेदार किसी भी पुलिस मामले, दावे और बीमा हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 25) ठेकेदार के पास नियमानुसार उचित वैध बीमा होना चाहिए, किसी दुर्घटना के मामले में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं।
- 26) ठेकेदार के ड्राइवरो के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वाहन का मालिक या कोई भी व्यक्ति वाहन चालक को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों से संतुष्ट नहीं होने वाले वाहन की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा वाहन के चालक और कंडक्टर को यात्रियों के साथ मानवीय और व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करना चाहिए।
- 27) यदि ठेकेदार अनुबंध अवधि के दौरान सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो निदेशक, आई आई आई टी डी एम जबलपुर के पास ठेकेदार के जोखिम और लागत पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का अधिकार होगा।
- 28) एजेंसी वाहन में यात्रा करने वाले संस्थान के छात्रों / कर्मचारियों / अतिथि को होने वाली किसी भी चोरी / क्षति के लिए जिम्मेदार होगी। इस तरह की गतिविधियों से उत्पन्न क्षतिपूर्ति एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी।

29) संस्थान के पास यह अधिकार होगा कि संस्थान के सर्वोत्तम हित को देखते हुए निविदा दस्तावेज में दी गई पात्रता मानदंडों में से किसी को भी लचीला बना सके।

30) जब तक कि आई आई आई टी डी एम जबलपुर द्वारा लिखित रूप में अधिकृत नहीं किया जाता, ठेकेदार अनुबंध के कार्यकाल के दौरान और उसके बाद किसी भी समय काम से संबंधित सभी जानकारी को विशुद्ध आत्मविश्वास में बनाए रखेगा। ठेकेदार संस्थान द्वारा आवश्यक संचालन / कार्य से संबंधित किसी भी रिपोर्ट को नष्ट नहीं करेगा। सौंपे गए सभी दायित्व को इस समझौते के पूरा होने / समाप्त होने के बाद संभाल कर रखा जावेगा।

31) वाहन 24X7 के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

#### 11. दंड संबंधी शर्तें

अथॉरिटीस / लॉग बुक या किसी अन्य संबंधित रिकॉर्ड / अन्य प्रमाण द्वारा उपयोगकर्ता / निरीक्षण द्वारा लिखित शिकायतों के आधार पर निम्न दंड अधिरोपित होगा:

क्र.	दंड की वजह	राशि (रूपये में)
1.	ड्यूटी हेतु रिपोर्टिंग नहीं करने पर	5000 / - प्रति अवसर
2.	प्रति अवसर देर से रिपोर्टिंग के लिए	1000 / - प्रति घंटा या उसके किसी हिस्से हेतु
3.	गंदी या गैर-सड़क योग्य वाहन तैनाती पर	1000 / - प्रति घटना
4.	ड्राइवर द्वारा दुर्व्यवहार अथवा आईआईआईटीडीएम जबलपुर के निर्देशों का पालन न करने पर।	1000 / - प्रति दिन या उसके किसी हिस्से हेतु
5.	दंड संबंधी शर्तों में सूचीबद्ध के अलावा अनुबंध के संचालन के दौरान कोई अन्य चूक होने पर	1000 / - प्रति घटना
6.	अन्य	मुद्दे की गंभीरता के अनुसार अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

निदेशक आईआईआईटीडीएम जबलपुर का सभी प्रकार के दंडों का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

## पीडीपीएम - आईआईआईटीडीएम जबलपुर

## तकनीकी बोली

विषय: "बस सेवा हेतु" निविदा

1. निविदाकर्ता/ संबंधित व्यक्ति का नाम: \_\_\_\_\_
2. पता (टेलीफोन व मोबाईल नम्बर के साथ) \_\_\_\_\_
3. संबंधित की प्रकृति: स्वयं मालिक या साझेदारी फर्म या एक कंपनी या एक सरकारी विभाग या एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन (प्रमाण संलग्न करें)।
4. फर्म का पंजीकरण नंबर \_\_\_\_\_  
(प्रतिलिपि संलग्न करें)
- (i) निविदाकर्ता/ संबंधित व्यक्ति का पैन नंबर: \_\_\_\_\_  
(प्रतिलिपि संलग्न करें)
- (ii) जीएसटी पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_  
(प्रतिलिपि संलग्न करें)
5. अर्नेस्ट मनी / डिमांड ड्राफ्ट संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ से (बैंक का नाम) रूपये \_\_\_\_\_  
अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा की गई।
6. एजेंसी का वार्षिक कारोबार:  
(खाते का लेखा परीक्षित विवरण संलग्न करें)  
वित्तीय वर्ष 2016-17: \_\_\_\_\_  
वित्तीय वर्ष 2017-18: \_\_\_\_\_  
वित्तीय वर्ष 2018-19: \_\_\_\_\_
7. वित्तीय वर्षों (2016-17, 2017-18, 2018-19) के लिए आयकर रिटर्न की प्रतियां: हाँ / नहीं  
(प्रति संलग्न करें)
8. क्या निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगी है: हाँ / नहीं।
9. अनुभव प्रमाण पत्र: हाँ / नहीं

(प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें, अनुबंध या कार्य आदेश की प्रतिलिपि मान्य नहीं होगी)

10. वचनपत्र संलग्न हैं: हाँ / नहीं।

11. निविदाकर्ता की राय में महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी

12. वित्तीय बोली अलग लिफाफे में संलग्न है " बस सेवा हेतु वित्तीय बोली " : हाँ / नहीं।

दिनांक: -----

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर  
मुहर के साथ)

## वचन पत्र

1. मैं / हम यह वचन देते हैं कि मैंने / हमने सभी नियमों और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और पीडीपीएम-आईआईटीडीएम जबलपुर के प्रस्तावित कार्य के मापदंडों को समझा है और उनका पालन करेंगे।
2. मैं / हम यह भी मानते हैं कि मैंने / हमने " कार्य के संचालन हेतु पैरामीटर और तकनीकी विनिर्देश समझे हैं" और इन मापदंडों के अनुसार कार्य का कड़ाई से पालन करेंगे।
3. मैं / हम यह वचन लेते हैं कि इस निविदा में दी गई जानकारी सभी मामलों में सही है और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं।
4. मैं / हम यह वचन लेते हैं कि मैं / हम जबलपुर के भीतर बस संचालन के लिए आरटीओ जबलपुर से आवश्यक अनुमति लेंगे।
5. मैं / हम यह वचन लेते हैं कि मेरी / हमारी फर्म को किसी संगठन / संस्थान से ब्लैकलिस्ट / प्रतिबंधित / निलंबित / डिबार नहीं किया गया है और मेरी / हमारी फर्म के खिलाफ कोई मामला पुलिस या अदालत में लंबित नहीं है। अगर किसी भी परिस्थिति में यह पाया जाता है, तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा और परफारमेंस गारंटी जब्त कर ली जाएगी।
6. मैं / हम यह वचन लेते हैं कि मैं / हम बोली खोलने के समय या अनुबंध के अंतिम तिथि से पहले मूल दस्तावेज तैयार रखेंगे।
7. मैं / हम यह वचन लेते हैं कि मैं / हम जबलपुर में हमारा कार्यालय है या मैं / हम अनुबंध के एक महीने के भीतर जबलपुर में एक कार्यालय शुरू करेंगे।

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

मुहर के साथ)

**पीडीपीएम-आईआईटीडीएम जबलपुर  
वित्तीय बोली**

1. वर्तमान में यात्रा के अनुसार **52** सिटों की क्षमता वाली दो बसों की आवश्यकता है: (वर्तमान समय-सारणी संदर्भ के लिए अनुलग्नक- IV में संलग्न है, जो बिना किसी सूचना के समय-समय पर बदली जा सकती है)
  - i) पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर परिसर - सदर
  - ii) सदर- पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर परिसर
2. आवश्यकता के अनुसार यात्राओं की संख्या भिन्न हो सकती है।
3. दो या अधिक समानांतर यात्राओं की आवश्यकता के मामले में अतिरिक्त अलग-अलग बसों को प्रति किलोमीटर शुल्क के आधार पर वास्तविक दूरी पर भुगतान किया जाएगा।
4. यात्रा के क्रमिक बिंदु ऊपर संख्या **1** में दिए गए हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर किसी भी अन्य बिंदु से भी सेवाए ली जा सकती है।
5. दूरी को प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य तक मापा जाएगा जैसा कि बिंदु संख्या **1** से ऊपर दिखाया गया है या बिंदु **4** के अनुसार वास्तविक प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य बिंदु तक होगा।
6. वित्तीय बोली को केवल निर्धारित मासिक शुल्कों के भारित औसत (क्रमांक **1** और **2** नीचे उल्लेखित) के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। **1800** किमी (क्रमांक **1**) के लिए निर्धारित मासिक शुल्क से गणना के अनुसार प्रति किलोमीटर वास्तविक शुल्क (क्रमांक **3** और **4**) प्रति किलोमीटर शुल्क से कम या बराबर होना चाहिए।

क्र.	वाहन	विवरण	प्रति बस मासिक किराया (आंकड़ों व शब्दों में)
1.	52 सीटर क्षमता वाली मासिक आधार पर 2 बसें (8 महीने या उससे अधिक के लिए)	न्यूनतम 1800 कि.मी. प्रति माह या दोना बसो हेतु कुल 3600 किमी प्रति माह	
2.	52 सीटर क्षमता वाली मासिक आधार पर 2 बसें (4 महीने या उससे कम के लिए)	न्यूनतम 1000 कि.मी. प्रति माह या दोनो बसो हेतु कुल 2000 किमी प्रति माह	
3.	वास्तविक दूरी के आधार पर 52 सीटर बस	प्रति अतिरिक्त किमी की दर (दोनों बसों के कुल 3600 किमी / 2000 किमी के बाद ही अतिरिक्त किमी की दर लागू होगी)	
4.	वास्तविक दूरी के आधार पर 32 सीटर बस	प्रति किमी की दर से	

**7. भारित औसत की गणना के लिए फॉर्मूला:**

यदि स.क्र. 1 में उद्धृत राशि को **A** माना जाए व

स.क्र. 2 में उद्धृत राशि को **B** माना जाए तो

$$\text{भारित औसत} = \frac{8*A+4*B}{12}$$

ठेकेदार के हस्ताक्षर व मुहर

स्थान:

दिनांक:

**बस समय सारणी (सोमवार से शुक्रवार)**

संविदा बस 1					संविदा बस 2			
कहाँ से	कहाँ तक	समय	रिमार्क		कहाँ से	कहाँ तक	समय	रिमार्क
संस्थान	सदर	03:30 PM			सदर	संस्थान	04:55 PM	
सदर	संस्थान	04:15 PM			*हेक्सागॉन कैटिन	सदर	05:50 PM	
संस्थान	गधेरी	05:30 PM	जाग्रति		सदर	संस्थान	06:30 PM	
गधेरी	संस्थान	05:45 PM	जाग्रति		संस्थान	गधेरी	07:40 PM	जाग्रति
संस्थान	सदर	06:30 PM			गधेरी	संस्थान	07:50 PM	जाग्रति
सदर	संस्थान	08:20 PM			संस्थान	महगवां	08:00 PM	जाग्रति
संस्थान से सदर		09:00 PM			महगवां	सदर	08:05 PM	
सदर से संस्थान		09:40 PM						

**बस समय सारणी (शनिवार व रविवार)**

एन आर 2 से सदर	सदर से एन आर 2
03:30 PM	04:45 PM
* 05:20 PM	06:15 PM
07:00 PM	08:20 PM
09:00 PM (रसल चौक तक)	09:40 PM (रसल चौक से)

नोट: वर्तमान में शनिवार और रविवार के लिए केवल 01 बस की आवश्यकता है।

